BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 181/2023
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

HARI MOHAN MISHRA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF M.P. & Ors …..RESPONDENT(S)

INDEX

SR. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Inspection Report in the compliance of Hon'ble NGT order dated 14.12.2023 in the matter of O.A No. 181/2023(CZ) (Hari Mohan Mishra versus State of M.P. & Others.).	1-14
2.	Vakalatnama	15

Date: 23.01.2024

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-

Parul

Through Counsel
Adv. Parul Bhadoria

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 181/2023
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

HARI MOHAN MISHRA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF M.P. & Ors …..RESPONDENT(S)

INSPECTION REPORT ON BEHALF OF MP PCB

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER:-

1. That, the instant petition pertains encroachment on the public land which is recorded as pond being Khasra No. 1323, 1324, 1325/1, area 29.78 hectare known as Puraniha Pond located in village Bedachh, Tehsil- Jawa, District- Rewa, Madhya Pradesh.

2. That vide Order dated 14.12.2023 in the present matter this Hon'ble Tribunal passed the following directions:

   " *8. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of :-*
   i. One representative from the District Magistrate, Rewa, M.P.
   ii. One representative from the Municipal Commissioner, Rewa, M.P.
   iii. One representative from the State Pollution Control Board, M.P.
   9. The Committee is directed to visit the place, examine the records, identify and demarcate the pond, the demarcation must be done by way of fixing the poles around the pond and then to take necessary actions. The committee has to take necessary actions against the encroachment and to ensure that in case of encroachment it must be removed according to rules. Factual and action taken report be submitted within four weeks. The State

PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
10. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

3. The committee was duly appointed in the present case with Regional Officer, MPPCB, Regional Office Rewa on behalf of MPPCB and the SDM, Tehseel Jawa, District Rewa on behalf of the Collector. However since the SDM was on official leave from 10.01.2024 for a period of one month, Therefore the present report is filed as inspection report on behalf of MPPCB.

4. The revenue officer currently in charge of the SDM office, Jawa had ordered the Tehseeldar Jawa for proper demarcation and removal of encroachment from the public land on 15.01.2024. Subsequently the Tehseeldar has issued notices to the encroachers and initiated proceedings under Section 248 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959. Thus the process of removal of encroachments is underway. The documents related to the same are annexed as **Annexure A-2**.

5. That the MPPCB Officials were unable to collect the samples for laboratory testing of water from Purhina Lake, Jawa, District Rewa since the water in the lake has dried up. The photographs of the site taken during inspection are annexed as **Annexure A-3.**

6. That the Hon'ble Tribunal may take this interim inspection report on behalf of MPPCB on record. The Board further humbly submits to file the further action taken report after the process of removal of action is completed.

Date: 23.01.2024

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-

Through Counsel
Adv. Parul Bhadoria

ANNEXURE A-1

माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल, प्रकरण क्र. ओ.ए. नं. 181/2023 (सी.जेड.) हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य के संबंध में जॉच प्रतिवेदन

निरीक्षण दिनांक 09.01.2024

1. यह कि उक्त प्रकरण ग्राम बड़ाछ के खसरा नं. 1323,1324,1325/1 रकवा 29.78 हेक्टेयर के पुरनिया तालाब तह. जवा जिला रीवा (म.प्र.) में अतिक्रमण से संबंधित है।
2. यह कि माननीय अभिकरण द्वारा दिनांक 14.12.2023 को पारित आदेश में उक्त प्रकरण कि जॉच किये जाने हेतु एक संयुक्त समिति निम्न सदस्यो की गठित कर आदेश दिये गये थे, संयुक्त समिति में (1) जिला मजिस्ट्रेट रीवा के प्रतिनिधि (2) नगर निगम रीवा के प्रतिनिधि (3) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समिति के समन्वय एवं सहयोग के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया था।
3. यह कि बोर्ड के आदेश क्र. 3636/विधि/एनजीटी/प्रानिबो/2023 भोपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2023 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
4. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी रीवा द्वारा दिनांक 08.01.2024 को माननीय कलेक्टर रीवा से व्यक्तिशः सम्पर्क किया गया एवं नोटशीट के माध्यम से प्रकरण के संबंध में चर्चा की गई ***(नोटशीट की प्रति संलग्न है।)*** माननीय कलेक्टर महोदया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा को प्रकरण में जॉच कर रिपोर्ट देने हेतु आदेशित किया गया।
5. यह कि दिनांक 09.01.2024 को अनुविभागीय अधिकारी जवा से क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा एवं प्रकरण व क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अशोक तिवारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जवा के कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रकरण की गंभीरता एवं माननीय अभिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रश्नाधीन पुरनहिया तालाब के अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया।
6. यह कि अनुविभागीय अधिकारी जवा द्वारा तहसीलदार जवा एवं एपीओ जवा को प्रकरण में जॉच कर 15.01.2024 तक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
7. यह कि अतिक्रमण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा जिला रीवा का अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदया जिला रीवा को प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा को उपलब्ध कराई गई।
8. यह कि अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा जिला रीवा के प्रतिवेदन के अनुसार तहसीलदार जवा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लेख किया गया कि ग्राम बड़ाछ की आराजी नं. 1323 रकवा 1.388 हेक्टेयर टीला म.प्र. शासन, आराजी नं. 1324 रकवा 4.501 हेक्टेयर तालाब म.प्र. शासन एवं आराजी नं. 1325/1 रकवा 6.123 हेक्टेयर तालाब म.प्र. शासन दर्ज शासकीय अभिलेख है जिसका सीमांकन कराया गया जिसमें आराजी नं.

1324 अतिक्रमण मुक्त है, आराजी नं. 1323 में 20 व्यक्तियों का आवासीय मकान बनाकर जिसमें 05 पक्का पीएम. आवास, 15 कच्चे खपरैल के मकान बनाकर व आराजी नं. 1325/1 में 04 व्यक्ति का आवासीय मकान जिनमे से 02 पक्के पी.एम. आवासीय व 02 खपरैल कच्चे मकान बनाकर व 03 व्यक्ति कृषि कर अतिक्रमण पाया गया है। इस प्रकार कुल अतिक्रामक 26 व्यक्ति पाये गये है जिनके विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदको के विरूद्ध धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई के पश्चात अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ***(अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा का पत्र क्र. 201/आ.का./2024 जवा दिनांक 15. 01.2024 की प्रति अवलोकन हेतु संलग्न है।)***

9. यह कि क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा की प्रयोगशाला इकाई के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा भी स्थल का निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 को किया गया। अधिकारियो कर्मचारियो द्वारा भी प्रश्नाधीन पुरनिहा तालाब की भीट पर अतिक्रमण पाया गया तालाब में जल की उपलब्धता नही पाई गई, तालाब सूखा देखा गया। अतः जल नमूना संग्रहण नही किया जा सका। निरीक्षण के दौरान अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा लिये गये छायाचित्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एवं छायाचित्र संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एस.डी. वाल्मिक)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला रीवा (म.प्र.)

शाखा ......T.A......
क्रमांक ......A......
विषय ...NGT Case No 181/2023...

विषय :— माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 181 / 2023 (CZ) (हरिमोहन मिश्रा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.12.2023 के अनुपालन बावत्।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) भोपाल बेन्च के प्रकरण क्रमांक 181 / 2023 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.12.2023 जिसमें ग्राम बडाच) के खसरा क्र. 1323, 1324, 1325 / 1 रकवा 29.78 हे0 तहसील जवा जिला रीवा में किए गए अवैध अतिक्रमण के सत्यापन पाये जाने पर नियमानुसार हटाये जाने के निर्देश दिये गये है एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 24.01.2024 के पूर्व माननीय एनजीटी को प्रेषित किया जाना है। एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2023 के अनुपालन में एनजीटी द्वारा नामित समिति निम्नानुसार है :–

1. डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट रीवा के प्रतिनिधि।
2. आयुक्त नगर निगम रीवा के प्रतिनिधि।
3. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा के प्रतिनिधि डॉ. अशोक तिवारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक

अतः अनुरोध है कि कमेटी के संबंधित सदस्यों / प्रतिनिधियों का निर्धारण करने का कष्ट करें तथा समिति को 15 जनवरी 2024 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

9/01/2024

Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Rewa (M.P.)

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा

कलेक्टर रीवा

SDM Jawa
CEO J Jawa

दिनांक 9/1/2024 SDM जवा से मिलकर कलेक्टर महोदय की note sheet प्रदान की गयी जिसमें SDM जवा ने 15/1/2024 तक तहसीलदार जवा एवं RPO जवा के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं

10/1/24

इस कार्यालय से की जाने वाली कार्यवाही हेतु, Lab Team सहित कार्यवाही 15/01/2024 से प्रारंभ कर लेवें। प्रभाव रखें।

10/01/2024

Dr. AKT

10.1.24

L.O. coordinate
Lab Incharge

ANNEXURE A-2

87
16/1/24

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जवा जिला रीवा (म0प्र0)

क्र./ 201 /आ0का/2024 जवा दिनांक 15/01/2024

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला रीवा (म0प्र0)

विषय--ग्राम बडाछ की आराजी नं. 1323, 1324, 1325/1 रकवा 29.78 एकड से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध मे।

सन्दर्भ--क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड रीवा के नोट शीट क्र01 N.G.T केश नं.181/2023 मे भवदीय के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन मे।

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित निर्देश के पालन मे तहसीलदार तहसील जवा से प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार तहसील जवा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बडाछ की आराजी नं. 1323 रकवा 1.388 हे. टीला म0प्र0शासन, 1324 रकवा 4.501 हे0 तालाब म0प्र0शासन एवं आ.नं. 1325/1 रकवा 6.123 हे0 तालाब म0प्र0शासन दर्ज शासकीय अभिलेख है जिसका सीमाकंन कराया गया जिसमे आ.नं. 1324 अतिक्रमण मुक्त है आराजी नं. 1323 मे 20 व्यक्तियो का आवासीय मकान बनाकर जिसमे से 5 पक्का पी.एम.आवास 15 कच्चे खपरैल मकान बनाकर व आ.नं. 1325/1 मे 4 व्यक्ति का आवासीय मकान जिनमे से 2 पक्के पी.एम.आवासीय व 2 खपरैल कच्चे मकान बनाकर व 3 व्यक्ति कृषि कर अतिक्रमण पाया गया है इस प्रकार कुल अतिक्रामक 26 व्यक्ति पाये गये है जिनके विरुध्द संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर अनावेदको के विरुध्द धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई के पश्चात् अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है

अतः तहसीलदार तहसील जवा के प्रतिवेदनानुसार जानकारी सादर सम्प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग जवा, जिला रीवा (म0प्र0)

NGT Bank
16/1/2024

संलग्न--
तहसीलदार तहसील जवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की छायाप्रति व हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रामको की सूची व स्थल पंचनामा की छायाप्रति.

पृ0क्र0/ 201 /आ0का0/2024 जवा दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपि--

1. क्षेत्रीय अधिकारी (म0प्र0)प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचा0 जवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग जवा जिला रीवा (म0प्र0)

अतिक्रमण कारियों की सूची ग्राम - बड़ाढ़ पटवारी हल्का - बड़ाढ़ रा.नि. मण्डल - जवा तहसील - जवा रीवा

क्र०	ग्राम	नाम मय वल्दियत	ख० नं०	रकबा	अतिक्र. रकबा	कब्जे का स्वरूप	भूमि का नाम
1	बड़ाढ़	बब्बू पिता रामभजन बसोर	1325	6.123	0.016	मकान पक्का P.M. आवास	तालाब मध्य प्रदेश शासन
2	बड़ाढ़	छोटे पिता रामभजन बसोर	"	"	0.016	मकान खपरैल	"
3	"	छुल्लाल पिता रामभजन ब०	"	"	0.016	मकान कच्चा झोपड़ी	"
4	"	बाल किशन पिता रामबलदेव बसोर	"	"	0.016	मकान पक्का P.M. आवास	"
5	"	मुन्ना पिता रामगरीब कोल	"	"	0.300	कृषि कार्य गेहूँ की फसल	"
6	"	लुखान पिता कुमारे कोल	"	"	0.200	कृषि कार्य गेहूँ की फसल	"
7	"	बालगोविन्द पिता मुनीम कोल	1323	1.388	0.016	मकान पक्का P.M. आवास	भीटा म० प्र० शासन दक्षिण-पश्चिम से क्रमशः उत्तर-पूर्व तरफ
8		जयलाल कोल पिता किशोर कोल	"	"	0.016	मकान खपरैल	
9		लालबहादुर पिता भोला प्रसाद कोल	"	"	0.016	मकान खपरैल	
10		केवल कृष्ण पिता रामगरीब कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा	
11		रामकिशोर कोल पिता श्रीबाल गोविन्द	"	"	0.016	मकान कच्चा	
12		शिवबहादुर कोल पिता बालगोविन्द	"	"	0.016	मकान कच्चा	
13		शिवराम पिता बालगोविन्द कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा	
14		सुरेश कोल पिता जयलाल कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा	
15		राजेश पिता जयलाल कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा	
16		परीक्षित पिता लालबहादुर कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा	
17		लुखान कोल पिता चितर कोल	"	"	0.016	मकान पक्का P.M. आवास	
18		धर्मेन्द्र कोल पिता लुखान कोल	"	"	0.016	मकान पक्का P.M. आवास	
19		छोटू कोल पिता लुखान कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा	
20		बिरोल कोल पति देवशरण कोल	"	"	0.016	मकान पक्का P.M. आवास	
21		राजेश कोल पिता देवशरण कोल	"	"	0.016	मकान कच्चा खण्डहर	

P.T.O.

1	2	3	4	5	6	7
22	"	सागर कोल पिता देवशरण कोल	1323		0.016	माकान कब्जा खपरैल
23	"	नेरघु पिता देवशरण कोल	"	"	0.016	माकान कब्जा खपरैल
24	"	गुड्डू पिता देवशरण कोल	"	"	0.016	माकान कब्जा
25	"	भैयन पिता राजबहोर कोल	"	"	0.016	माकान पक्का P.M. आवास युक्त
26	"	राजेश मिश्रा पिता सूर्यजपाल मिश्रा	1323 1325	"	0.20 0.202	माकान खपरैल कृषि गेहू साग भाजी
योग	बबाढ़	26 नफर	3 किता			
27			1324	4.501	ह०	तालाब म.प्र. शासन

ताल

[signature] किया

सम्मान - 24 जिसमें PM आवास 07

कृषि भूमि 02.

पंचनामा

दिनांक 5-1-2024

आज दिनांक 5-1-2024 को श्री मान तहसीलदार महोदय तह० जता के आदेशानुसार ग्राम बड़ाद के मध्य प्रदेश शासन तलाव के आराजी न 1325/1 के अंश रकबे पर मौके से उपस्थित होकर अतिक्रमण कारियों का कब्जा ग्राम के उपस्थित सम्मानित व व्यक्तियो के समक्ष देखा व अतिक्रमणकारियों की अलग से विधिवत सूची तैयार की गई। व भूमि नं. 1324, 1323 का मौका देखा गया मौके पर पाया गया की आराजी न. 1324 तालाब का क्षेत्रफल अतिक्रमण से मुक्त है व आराजी नं. 1323 मध्य प्रदेश शासन भीट पर निम्न व्यक्तियो द्वारा कच्चा व पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। जिसकी अतिक्रमण सूची तैयार कर पंचनामा तैयार किया गया उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर लिया गया।

(हस्ताक्षर) पटवारी बड़ाद

अ०नि० बब्बू बसोर

अ०नि० कल्लू बसोर

रामचन्द्र तिवारी

मनोज कुमार द्विवेदी

मनसोच

बालगोविंद

सुधीर कोरी

भइयालाल

ANNEXURE A-3

GPS Map Camera
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.028817°
Long 81.440503°
19/01/24 04:57 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.028747°
Long 81.440195°
19/01/24 04:55 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.027919°
Long 81.440477°
19/01/24 04:53 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.027826°
Long 81.440543°
19/01/24 04:53 PM GMT +05:30

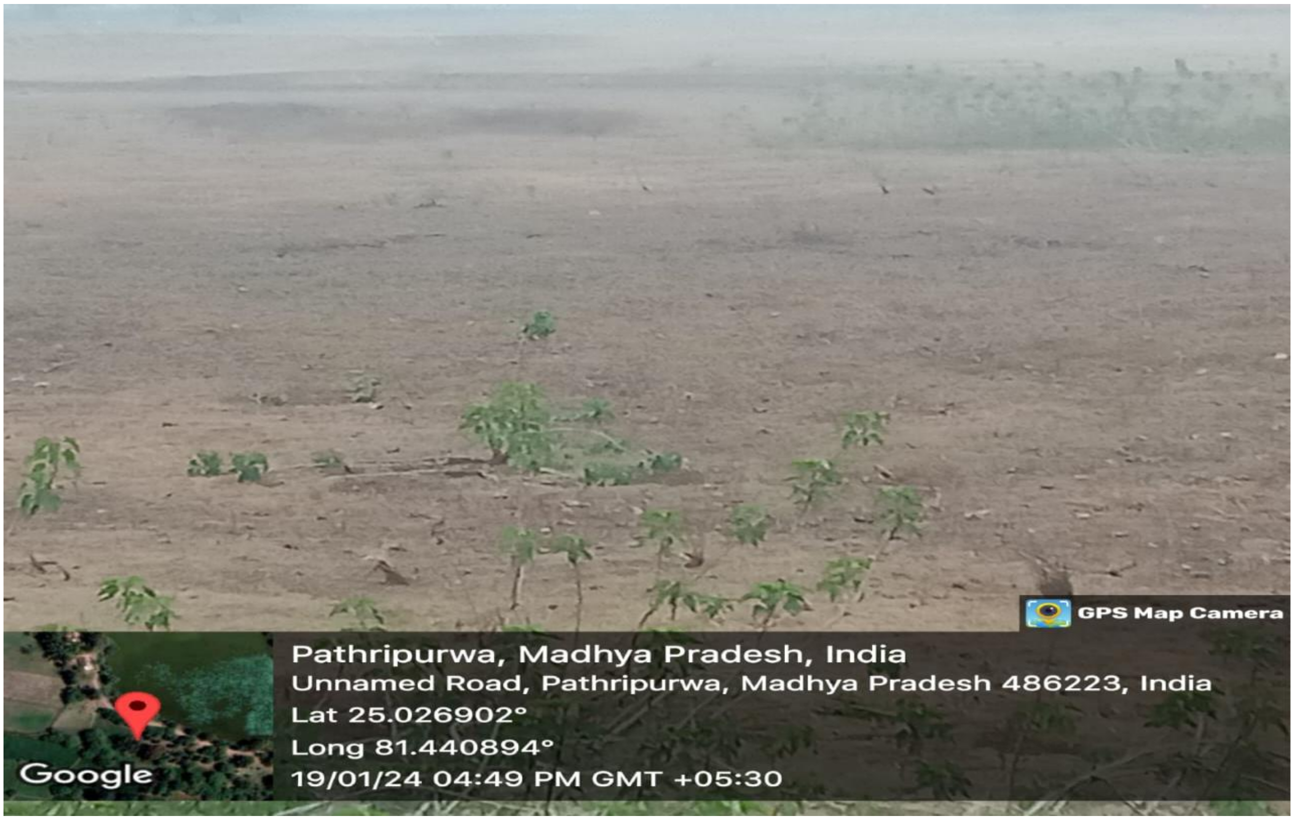
GPS Map Camera
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.026902°
Long 81.440894°
19/01/24 04:49 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.026882°
Long 81.443293°
19/01/24 04:46 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Pathripurwa, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Pathripurwa, Madhya Pradesh 486223, India
Lat 25.028662°
Long 81.441016°
19/01/24 04:59 PM GMT +05:30
Google

VAKALATNAMA

[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

O.A. No. 181/2023

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

HARI MOHAN MISHRA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF M.P. & Ors .....RESPONDENT(S)

I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this.......................... day of ....2024.

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature/ Thumb
S.D. Balmik MPPCB Regional Officer Rewa	HIG 190-191 NEHRU NAGAR REWA(M.P.)	(07662) 297605 ropcb-rewa@mp.gov.in	Officer-in-Charge	[signature] Regional Officer M.P. Pollution Control Board Rewa (M.P.)

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA MP 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	[signature]
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	[signature]
SHIVAM DWIVEDI MP 3857	advshivamdwivedi20@gmail.com	8878471359	[signature]